

अनुसूचित की बातें ।

- (1) जमान अथवा मुकदमा के विषय में स्वीकृत आवेदन प्राप्त नहीं किये जाते ।
- (2) किसी भी प्रकार का विवाद (व्यापिक, राजस्वीय, आवासगत या अन्य) होने की स्थिति में विवाद का कोई अंतर्व्यवस्थापक नहीं होगा तथा न ही निगम किसी अतिपूरी के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (3) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदन निगम को सुनिश्चित करेगा ।
- (4) स्वीकृत भवनों के विपरीत निर्माण कार्य होने पर स्वीकृत निगम को वापस करनी है ।

एकल खेड़की केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपूर

आवेदन क्रमांक 34 दिनांक 10/04/2019

प्राची जमनादास सोनी 310 श्री परसराम सोनी

ने राजस्थान नगर निगम अधिनियम 2009 P.No: 12/252 पौपासी

द्वारा 1924 के अध्यासीय ए।इसिंग बोर्ड स्कीम

अध्वन निर्माण हेतु निगम के पत्र

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 91881- रुपये जमा

अधिके रसीद संख्या 1005/9592, 9593

दिनांक 10/04/2019 को जमा करा दी है ।

(Handwritten Signature)

प्रारूपकार
नगर निगम, जोधपूर

जी+1

आवासीय

आवेदन
9314001504